कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग), जनपद न्यायालय, हाथरस।

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस (मुख्यालय) स्थित 02 फोटोस्टेट मशीन की दुकान एवं नवीन न्यायालय परिसर वाह्य न्यायालय सिकन्द्राराऊ के रिक्त भूमि पर उपलब्ध 01 साईकिल स्टैण्ड को वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु ठेके पर उठाये जाने के लिए सील बन्द निविदा **दिनाँक 12.06.2026, दिन शुक्रवार, समय दोपहर 01:30** बजे तक आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक व्यक्ति सील बन्द निविदा हेतु निविदा फार्म केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस से प्राप्त कर सकता है। नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.allahabadhighcourt.in** एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **https://hathras.nic.in**, जनपद न्यायालय, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in** एवं केन्द्रीय नजारत, हाथरस से प्राप्त की जा सकती है।

25/05/2026

(हर्ष अग्रवाल)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. अधिनियम),
हाथरस।
25.05.2026

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।
25.05.2026

कार्यालय–जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
जनपद न्यायालय, हाथरस।

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस (मुख्यालय) स्थित 02 फोटोस्टेट मशीन की दुकान एवं नवीन न्यायालय परिसर वाह्य न्यायालय सिकन्द्राराऊ के रिक्त भूमि पर उपलब्ध 01 साईकिल स्टैण्ड को वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए सील बन्द निविदा **दिनाँक 12.06.2026, दिन शुक्रवार, समय दोपहर 01:30** बजे तक आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक व्यक्ति सील बन्द निविदा हेतु निविदा फार्म केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस से प्राप्त कर सकते हैं। नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट http://www.allahabadhighcourt.in एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट https://hathras.nic.in जनपद न्यायालय, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in एवं केन्द्रीय नजारत, हाथरस से प्राप्त की जा सकती है।

सील बन्द निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें :–

01. यह ठेका दिनाँक 31.03.2027 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. सील बन्द निविदा हेतु निविदा फार्म केन्द्रीय नजारत, हाथरस से कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
03. सील बन्द निविदा दिनाँक 12.06.2026 को सायं 11.00 बजे तक केन्द्रीय नजारत, हाथरस में जमा की जायेगी तथा उसी दिन 01.30 बजे के उपरान्त नीलामी समिति के समक्ष ही निविदा दाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी।
04. सील बन्द निविदा प्रस्तुत करते समय बतौर जमानत रू० 20.000/– (बीस हजार) की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की कार्यवाही की समाप्ति पर यदि सम्बन्धित व्यक्ति के नाम का ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
05. जिस व्यक्ति/सर्वाधिक बोलीदाता के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25–25 प्रतिशत की 03 त्रैमासिक किस्त (01 अगस्त–2026, 01 नवम्बर–2026 एवं 01 फरवरी–2027) में जमा करना होगा। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
06. अपूर्ण सील बन्द निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
07. नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
08. डाक से प्राप्त निविदा अमान्य होगी।
09. सभी निविदा सील बन्द ही स्वीकार किये जायेंगे। सील बन्द निविदा में निविदा फार्म पूर्णतः भरा हुआ तथा पूर्ण हस्ताक्षर सहित स्वीकार किया जाएगा।
10. एक अथवा सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बतायें निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित है।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जनपद न्यायालय, हाथरस होगा।

12. निरस्त किये गये निविदाओं से सम्बन्धित व्यक्ति को उनकी जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

13. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।

14. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे–सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।

15. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार रू० 100.00 की धनराशि का स्टॉम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।

16. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल करना आवश्यक होगा।

25/05/2016

(हर्ष अग्रवाल)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम),
हाथरस।

प्रतिलिपि–

01. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
02. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
04. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
05. मुनादी कराये जाने हेतु।
06. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

25/05/2016

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम),
हाथरस।